राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांकः– एफ 33(1) खा.वि/प्रोक्यो/RMS/2023–24–। जयपुर, दिनांक 14/3/2023

दिशा–निर्देश

रबी विपणन वर्ष (आरएमएस) 2023–24 में समर्थन मूल्य पर गेहूँ क्रय हेतु निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं :–

1. भारत सरकार द्वारा आरएमएस 2023–24 हेतु गेहूँ का समर्थन मूल्य 2125 रूपए प्रति क्विंटल घोषित किया गया है।
2. राज्य में आरएमएस 2023–24 के दौरान समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीद कोटा संभाग में 20 मार्च 2023 से व शेष जिलों में 1 अप्रैल से 30 जून 2023 तक की जायेगी।
3. गेहूँ खरीद कार्य हेतु आरएमएस 2023–24 के दौरान राज्य में प्रथम चरण में कोटा संभाग में कुल 57 क्रय केंद्र स्थापित किये गये है। शेष जिलों में स्थापित किये जाने वाले क्रय केन्द्रों के सम्बन्ध में पृथक से सूची जारी की जावेगी । क्रय केन्द्रों की सूची खाद्य विभाग की वेबसाइट (https://food.rajasthan.gov.in) पर उपलब्ध है।

दिशा–निर्देश जिला कलक्टर के लिए :–

1. गेहूँ खरीद की व्यवस्था सुचारु रूप से चलाने के लिए तथा किसानों की पहचान एवं भूमि अभिलेखों के सत्यापन हेतु उचित पॉलिसी / दिशा निर्देश जारी करें।
2. गेहूँ खरीद हेतु यदि जिला कलक्टर अपने क्षेत्र में अन्य नये क्रय केन्द्र खुलवाना चाहते हैं तो नये क्रय केन्द्र के प्रस्ताव औचित्य सहित संबंधित एजेंसी से विचार विमर्श कर भिजवायें। क्रय केन्द्रों की सूची में कोई परिवर्तन किया जायेगा तो उसकी सूचना पृथक से विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जावेगी। जिला कलक्टर क्रय केन्द्रों का रिव्यू करें, यदि किन्ही क्रय केन्द्रों को मर्ज किया जाना है या बन्द किया जाना है तो अपने स्तर पर आवश्यक कार्यवाही कर विभाग को सूचना प्रेषित कर दें।
3. किसानों को समयबद्ध गिरदावरी/जमाबंदी/गिरदावरी प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्र हेतु व्यवस्था तुरन्त कायम कर प्रचार–प्रसार किया जाये।
4. सभी क्रय केन्द्रों पर कानून एवं यातायात व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा पर्याप्त जाप्ता उपलब्ध करवाया जायेगा। संबंधित जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक आपसी समन्वय के द्वारा पहले से स्थिति का आंकलन कर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। उठाव के Peak समय में होमगार्ड के साथ–साथ यातायात पुलिस के कांस्टेबल भी लगाये जावे।
5. क्रय संबंधी शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित जिला कलक्टर त्वरित कार्यवाही करें।
6. जिला कलक्टर क्रय एजेंसीज (FCI, राजफेड, तिलम संघ आदि) के क्षेत्रीय प्रबंधकों एवं स्थानीय प्रशासन (एसडीएम/तहसीलदार आदि) के सदस्यों की टीमों का गठन कर क्रय केन्द्रों के संयुक्त निरीक्षण करने हेतु निर्देश जारी करेगें।
7. गेहूँ खरीद हेतु सम्पूर्ण पर्यवेक्षणीय दायित्व संबंधित जिला कलक्टर का होगा व प्रतिदिन इसकी नियमित रूप से मॉनिटरिंग करेंगे।
8. जिला कलक्टर यह सुनिश्चित करे कि मण्डी अथवा क्रय केन्द्र पर वाहन में एक ड्राइवर व उसके साथ एक किसान ही आये। आवश्यकतानुसार मण्डियों व क्रय केन्दों की श्रेणी व कार्यशैली के आधार पर आढतियों की निश्चित संख्या में उपस्थिति के लिए समय तय करें ।
9. कृषि विपणन विभाग द्वारा राज्य स्तर पर एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जायेगी। उठाव के समय कांटा अक्सर खराब हो जाता है जिससे उठाव प्रभावित होता है। अतः इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करें। मण्डी सचिव को निर्देश दिए जावे कि खरीद व उठाव के समय निर्धारित लाइनों के माध्यम से व्यवस्था

सुनिश्चित रहे व छाया पानी की समुचित व्यवस्था की जावे। मण्डियों में जल निकास की काफी समस्या रहती है। इसे दुरूस्त किया जाए व आवश्यकता अनुसार लघु निर्माण के कार्य किए जाए।

दिशा–निर्देश क्रय एजेंसीज के लिए :–

1. गेहूँ उपार्जन हेतु आवश्यक समस्त व्यवस्थाएं (क्रय केंद्र, बारदाना, भण्डारण आदि) किया जाना सुनिश्चित करें।
2. क्रय केन्द्रों पर तुलवाई और उठाव के समय असामयिक वर्षा को देखते हुये त्रिपालों की पूर्ण व्यवस्था की जावें।
3. भारतीय खाद्य निगम द्वारा क्रय किये गये गेहूँ का भण्डारण किया जावेगा। इस हेतु निगम द्वारा राज्य स्तर पर एक नोडल अधिकारी नियुक्ति की जावे। साथ ही गेहूँ के उठाव/भराव के दौरान गोदाम निर्धारित समय पर खोले जाए।
4. उपार्जन की व्यवस्था के संबंध में राज्य व जिला स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाना सुनिश्चित करें।

दिशा–निर्देश जिला कलक्टर / क्रय एजेंसीज के लिए :–

1. जिला कलक्टर व क्रय एजेंसीज यह सुनिश्चित करेगें कि गेहूँ उपार्जन प्रक्रिया और गेहूँ का समर्थन मूल्य एवं भारत सरकार द्वारा जारी गुणवत्ता मापदण्डों का पूर्ण प्रचार–प्रसार सरपंच/ग्राम स्तर तक हो। इस हेतु जिले के जन सम्पर्क अधिकारी के माध्यम से नियमित प्रेस विज्ञप्ति जारी करवायी जावे। जिला परिषद, पंचायत समिति एवं राजस्व मीटिंगों में भी प्रचार–प्रसार करावें।
2. किसानों को नियमानुसार समयबद्ध एवं नियमित सही भुगतान हेतु भुगतान प्रक्रिया को सुचारू रूप से सुनिश्चित करेगें।
3. जिला कलेक्टर सभी क्रय एजेंसीज से समन्वय कर प्रत्येक क्रय केन्द्र एवं उनसे संलग्न गोदामों की मैपिंग सुनिश्चित कर Movement Plan तैयार करें, ताकि परिवहन में किसी प्रकार की समस्या ना हो। साथ ही मैपिंग के दौरान यह भी सूचित करेगे कि कितने गोदाम कवर्ड हैं तथा कितने CAP (Covered and Plith) गोदाम हैं।
4. आरएमएस 2023–24 के लिए गेहूँ उपार्जन हेतु राज्य स्तरीय समिति द्वारा परिवहन की दरें विभागीय पत्रांक एफ 33 (4) खावि/प्रोक्यो./SLC/2023 दिनांक 03.03.2023 एवं मण्डी लेबर चार्जेज की दर विभागीय पत्रांक एफ 33 (5) खावि/प्रोक्यो./एमएलसी/2022 दिनांक 11.01.2022 द्वारा निर्धारित कर दी गई है। उक्त संदर्भित विभागीय पत्रांकों अनुसार जिला कलक्टर व क्रय एजेंसीज निविदाएं आमंत्रित कर आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
5. क्रय केन्द्रों पर पारदर्शिता बनाये रखने हेतु जिला कलक्टर क्रय एजेंसी से समन्वय स्थापित कर क्रय–केन्द्रों पर वेब कैमरा/वीडियोग्राफी करवाना सुनिश्चित करें।
6. क्रय केन्द्रों पर गेहूँ की FAQ (Fair Average Quality) निर्धारण हेतु विवाद की स्थिति में संबंधित कृषि उपज मण्डी सचिव को नियुक्त किया जावें तथा जहां मण्डी सचिव का पद रिक्त है या एक मण्डी क्षेत्र में एक से अधिक क्रय केन्द्र है वहां जिलें में पदस्थापित कृषि पर्यवेक्षकों को लगाया जावें।
7. क्रय एजेंसीज द्वारा गेहूँ उपार्जन के क्रय केन्द्रों की क्रय क्षमता को ध्यान में रखते हुए किसानो को टोकन जारी किये जायेंगे।
8. कृषक मंडी जाते समय अपने माल का सत्यापन एवं वापिस जाते समय बिक्री की रसीदे/बिल का सत्यापन करवाना सुनिश्चित करें।
10. यदि किन्हीं कारणवश क्रय केन्द्रों पर व्यवस्था न हो पाये तो जिला कलक्टर इन क्रय केन्द्रों पर क्रय किये जाने की अन्य दिनांक निर्धारित कर प्रचार प्रसार की व्यवस्था करावे व उक्त दिनांक के लिये ही किसानों को टोकन जारी किये जायें।

(अभय कुमार)
अतिरिक्त मुख्य सचिव (खाद्य)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव (एचडी), मुख्यमंत्री कार्यालय, राज0, जयपुर।
4. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
5. उप सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि/वित्त/राजस्व/खाद्य विभाग, राज0, जयपुर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त/महानिरीक्षक पुलिस, राज0।
7. समस्त जिला कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक, राज0।
8. प्रबंध निदेशक, राजफैड/तिलम संघ, राज0, जयपुर।
9. निदेशक, कृषि विपणन विभाग/बोर्ड, राज0, जयपुर।
10. निदेशक, राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम, जयपुर।
11. वित्तीय सलाहकार, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर।
12. महाप्रबंधक (क्षेत्र), भारतीय खाद्य निगम, राज0, जयपुर।
13. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, खाद्य विभाग को भेजकर लेख है कि उक्त दिशा–निर्देश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करावें।
14. वरिष्ठ तकनिकी निदेशक, NIC, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर।
15. जनसंपर्क अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर।
16. समस्त जिला रसद अधिकारी, राज0।
17. रक्षा पत्रावली।

अतिरिक्त खाद्य आयुक्त